## कार्यातय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर—19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर (प्रभाग—प्रशासन/अराजपत्रित)

फोन/फैक्स 0771-2512817,

र्डमेटाapccfng@gmail.com

क्रमांक/प्रशा.अराज.1/320-6/2023/ 4987 प्रति. संचालक

जन सम्पर्क संचालनालय , (विज्ञापन शाखा) नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय: वनरक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने बाबत्।

-- 00 ---

छत्तीसगढ़ राज्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों/ वनमण्डलों में वनरक्षक के कुल 1484 रिक्त पदोंपर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रारूप संलग्न प्रेषित है।

कृपया छत्तीसगढ़ के रायपुर एवं बिलासपुर से प्रकाशित होने वाले 3—3 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों एवं विभिन्न जिलों के संबंधित परिशिष्ट/संस्करण में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्न – विज्ञापन प्रारूप।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छ.ग. नवा रायपुर, अटल नगर

पृ.क्रमांक/प्रशा.अराज.1/320—6/2023/4999 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक : 1......../05/2023 प्रतिलिपि —

- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ.ग. नवा रायपुर।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशि. संस्थान, रायपुर।
- 3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी/कार्य आयोजना), छत्तीसगढ़।
- 4. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी/कार्य आयोजना), छत्तीसगढ़।
- उप वन संरक्षक, वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमण्डल, नवा रायपुर की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु विज्ञापन प्रारूप संलग्न प्रेषित है।

प्रधान मुख्य वेन संरक्षक छ.ग. नवा रायपुर, अटल नगर



# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर (प्रभाग-प्रशासन/अराजपत्रित)

फोन/फैक्स 0771-2512817,

ईमेल apccfng@gmail.com

### वनरक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ राज्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विभिन्न कार्यालयों/वनमण्डलों में वनरक्षक के 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में भाग लेने हेतु सम्पूर्ण छ.ग. राज्य के मूल निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र, दिनांक 20.05.2023 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 11.06.2023 रात्रि 11:59 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन पत्र, विभागीय वेबसाईट www.cgforest.com पर किये जायेंगे।

- यह नियुक्ति/चयन, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर याचिका क्रमांक एस.एल.पी. (सी) नं. 19668/2022 में पारित होने वाले अन्तिम आदेश/ निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
- 2. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किए जायेंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- उ. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता/ शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अन्तरिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता विभाग द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली गई है।
- 4. छ.ग. शासन, सामान्य विभाग द्वारा परीक्षा शुल्क माफ किये जाने के संबंध में जारी पत्र क्रमांक एफ 10-2/2022 एक (1) दिनांक 08.04.2022 के अनुसार छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार की परीक्षा शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 5. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.12.2012 एवं समय—समय पर जारी यथा संशोधनों क अनुसार रिक्त पदों की गणना जिलावार निर्धारित आरक्षण रोस्टर प्रतिशत/बिन्दु के आधार पर की गई है। उपरोक्तानुसार विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- 6. कार्यालय /वनमण्डलवार रिक्त पदों का विवरण **परिशिष्ट-01** में संलग्न है।
- 7. शैक्षणिक अर्हता, शारीरिक अर्हताएँ, वेतनमान, नियम एवं शर्तों का विवरण **परिशिष्ट-02** में संलग्न है।

M



# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर—19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर (प्रभाग—प्रशासन/अराजपत्रित)

फोन/फैक्स 0771-2512817,

ईमेल apccfng@gmail.com

## वनरक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ राज्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विभिन्न कार्यालयों/वनमण्डलों में वनरक्षक के 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में भाग लेने हेतु सम्पूर्ण छ.ग. राज्य के मूल निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र, दिनांक 20.05.2023 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 11.06.2023 रात्रि 11:59 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन पत्र, विभागीय वेबसाईट www.cgforest.com पर किये जा सकेंगे। विस्तृत विज्ञापन, रिक्त पदों की जानकारी, भर्ती प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट www.cgforest.com में उपलब्ध है।

प्रधान मुख्य केने संरक्षव अध्वतीसगढ़, नवा रायपुर

H	ALLES AND ALLES AND ALLES		अनारक्षित		4	अन्य पिछड़ा वर्ग	वर्ग		अ.जा.			अ.ज.जा.	
.9	कायालय का नाम	मुक्त	महिला	がなる。	मुक्त	महिला	भूपस	मुक्त	महिला	भ भू भू भू	मुक्त	महिला	भू पू.सं.
	1 वन संरक्षक (कार्य आयोजना) वनमण्डल रायपुर	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	वन प्रबंधन सूचना प्रणाली, वनमण्डल, रायपुर	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ω	3 अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल, रायपुर	7	2	0	2	0	0 -	2	0	0	-	0	0
4	4 बलौदाबाजार वनमण्डल	17	7	2	<b></b>	-	0	9	33	_	3	_	0
s	धमतरी वनमण्डल	16	7	2	5	2	0	w	-	0	9	3	-
6	6 महासमुंद वनमण्डल	13	5	-	S	_	0	<sub>دیا</sub>	-	0	6	3	_
7 7	7 गरियाबंद वनमण्डल	7	c.	-	Ç.	0	0	2	0	0	7	2	0
00	उदंती सीतानदी टाईंगर रिजर्व, गरियाबंद	w	0	0	S	_	0	4	-	0	7	2	0
	योग :	65	24	6	23	On .	0	23	6	-	33	11	2
9	9 दुर्ग वनमण्डल	ů.	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
10	10 बालोद वनमण्डल	6	2	0	_	0	0	-	0	0	درا	0	0
11	11 राजनांदगांव वनमण्डल	15	7	2	5	-	0	4	-	0	9	در:	-
12	खैरागढ वनमण्डल	19	9	c.	5	2	0	CA.	_	0	10	4	-
13	13 कवर्धा वनमण्डल	22	10	w	6	2	0	7	2	0	9	(sa	-
	योग:	65	29	∞	18	s	0	18	4	0	32	10	3
14	14 अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल, बिलासपुर	5	2	0	_	0	0	2	0	0	2	0	0
15	15 वन संरक्षक (कार्य अयोजना) वनमण्डल, बिलासपुर	2	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0
161	16 विलासपुर यनमण्डल	12	6	2	4	_	0	5	2	0	S	-	0
17	17 मुंगेली वनमण्डल	6	သ	_	ų,	0	0	4	-	0	Ç.	0	0
18	18 अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी	19	∞	2	6	2	0	10	4	E.	4	-	0
19	19 कोरबा वनमण्डल	=	Vi.	_	Ç,	0	0	4	-	0	13	6	2
20	20 कटघोरा वनमण्डल	12	S	-	5	2	0	0	0	0	14	6	2
21	21 रायगढ़ वनमण्डल	5	6	2	5	2	0	6	2	0	13	5	_
22	धरमजयगढ़ वनमण्डल	9	4	_	4	_	0	(J)	0	0	×	L.	_
23	23 जांजगीर चांपा वनमण्डल	S	2	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0
24	मरवाही वनमण्डल	S	-	0	i,	-	0	2	0	0	10	4	-
	योग :−	99	42	10	36	9	0	40	10	-	75	26	7

Sec

25 वन संरक्षक (कार्य आयोजना) वनमण्डल सरगुजा	-	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	2
हाथी रिजर्व, तमोर पिंगला अभ्यारण्य (जिला सूरजपुर)	7	2	0	2	0	0	-	0	0	Si	-	0	18
हाथी रिजर्व, सेमरसोत अभ्यारण्य (जिला बलरामपुर )	ω	-	0	(u)	0	0	0	0	0	6	3	-	17
हाथी रिजर्व, 28 बादलखोल अभ्यारण्य (जिला जशपुर)	2	0	0	-	0	0	-	0	0	ü	0	0	
29 सरगुजा वनमण्डल	6	2	0	w	0	0	2	0	0	=	4	-	29
30 जशपुर वनमण्डल	6	2	0	4	_	0	0	0	0	19	8	2	42
31 बलरामपुर वनमण्डल	7	w	-	4	-	0	2	0	0	19	9	3	49
32 सूरजपुर वनमण्डल	17	7	2	2	0	0	0	0	0	4	1	0	33
33 कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर	16	7	2	0	0	0	-	0	0	7	2	0	
34 मनेन्द्रगढ वनमंडल	13	5	-	0,	2	0	2	0	0	7	2	0	37
35 गु.घा.रा.उ. बैकुण्टपुर	6	(s)	-	2	0	0	u	0	0	7	ω	-	26
योग ≻	84	32	7	26	4	0	12	0	0	89	33	œ	295
36 वन संरक्षक (कार्य आयोजना) वनमण्डल, कांकेर	1	0	0	0	0	0	-	0	0	w	1	0	
37 कांकेर वनमण्डल	7	2	0	On .	2	0	2	0	0	15	7	2	
38 पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल	10	4	-	2	0	0	2	0	0	19	9	دما	
39 पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल	6	2	0	ω	-	0	2	0	0	14	6	2	
40 केशकाल वनमण्डल	-	0	0	_	0	0	-	0	0	=	4	-	
41 दक्षिण कोण्डागांव वनमण्डल	_	0	0	2	0	0	-	0	0	<u>-</u> 4	6	2	
42 नारायणपुर वनमण्डल	ယ	0	0	o,	0	0	2	0	0	13	6	2	
योग :	29		-	16			=	0	0	89	20	12	200

. . . . . . .

111	428	2	20	109	2	35	148	33	138	358	महायोग :-
	110	0	0	Si	2	9	29	1	3	16	योग:–
	30	0	0	W	0	2	7	0	0	0	51 इन्द्रावती टाईगर रिजर्व बीजापुर
	7	0	0	-	0	0	0	0	0	0	50 बीजापुर वनमण्डल
00	18	0	0	0	0	-	S	0	0	2	49 सुकमा वनमण्डल
9	19	0	0	0	-	3	6	0	0	0	48 दंतेवाड़ा वनमण्डल
_	4	0	0	1	0	0	2	0	0	3	47 कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 वन विद्यालय, जगदलपुर
4	10	0	0	0	0	0	ω	0	0	2	45 सामाजिक वानिकी वनमण्डल, बस्तर
9	20	0	0	0	-	53	6	-	3	9	44 बस्तर वनमण्डल
0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 वन संरक्षक (कार्य आयोजना) वनमण्डल, जगदलपुर

टीप :—1) वनरक्षक का पद वनमंडलवार स्वीकृत हैं । सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 13—14/ 2009/ आ.प्र./1—3, दिनाक 29.12.2012 द्वारा निधारित जिलावार आरक्षण रोस्टर के तहत रिक्त पद की गणना की गई है।

2) छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/ सी/3-2/97/3/एक, दिनांक 10.02.1997 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 13-2/2014/आ.प्र /1—3, दिनांक 14.07.2017 के तहत प्रवर्गवार 30 प्रतिशत महिला आरक्षण की गणना की गई है।

3) छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 13—1/2023/आ.प्र./1—3 दिनांक 03.05.2023 में मान. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी क्रमांक-19668/2022) के अंतिम आदेश के अध्यधीन रहेगी।

4) उपरोक्त विज्ञापित पदों में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है।

1

### वनरक्षक पद हेतू शैक्षणिक अर्हता, वेतनमान तथा शारीरिक अर्हताएँ, नियम एवं शर्तों का विवरण :-

1.शैक्षणिक अर्हता — अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिये। 2.आयु सीमा —

- (क) छ.ग. के मूल निवासियों हेतु आयु दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- टीप-छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3, दिनांक 30.01.2019 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दिनांक 31.12.2023 तक के लिये 05 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।
- (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गी (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 (पॉच) वर्ष तक छूट दी जायेगी।
- (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी –
- (i) ऐसा अभ्यर्थी, जो ''छंटनी किया गया शासकीय सेवक'' हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की गई कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

  स्पष्टीकरण शब्द ''छंटनी किये गये शासकीय सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी
  - संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवक में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्य आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।
- (ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालाविध कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।
  - स्पष्टीकरण शब्द "भूतपूर्व सैनिक " से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गी में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्यवता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष घोषित किया गया हो—
  - (i) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्ट्रिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,

gc



- ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें-(ii)
  - अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर (a)
  - नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो। (b)
- मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक, (iii)
- ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो. (iv) (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है)
- अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये (v) अधिकारी.
- ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो, (vi)
- ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो, (vii)
- ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से (viii) अलग कर दिया गया हो,
- (च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में श्री, उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  - टीप (1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त खण्ड (घ) के उप-खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/ चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति हेतू पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।
  - (2) किसी भी अन्य मामले में आयू सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियां की परीक्षा/चयन हेत् उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।
- (ट) आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (ठ) उपरोक्त उल्लेखित एक या एक से अधिक संवर्ग के अंतर्गत आयु में छूट दिये जाने के उपरांत, शासकीय सेवा हेत् पात्र होने के लिये अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आयु के संबंध में जन्मतिथि प्रमाण पत्र अथवा कक्षा 10वीं की अंकसूची की सत्यापित प्रति जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, संलग्न करनी होगी।

3. वेतन :- वेतन मैट्रिक्स लेवल - 04 (5200-20200 ग्रेडवेतन 1900)

सीधी भर्ती के पदों पर चयनित समस्त वनरक्षकों को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियमानुसार स्टायपेण्ड देय होगा—

प्रथम वर्ष

मूल वेतन 19500/— का 70 प्रतिशत एवं देय अन्य भत्ते

द्वितीय वर्ष - मूल वेतन 19500/- का 80 प्रतिशत एवं देय अन्य भत्ते

तृतीय वर्ष - मूल वेतन 19500/- का 90 प्रतिशत एवं देय अन्य भत्ते

#### 4.शारीरिक अर्हता –

#### (अ) वनरक्षक के पद के लिए न्यूनतम शारीरिक मापदंड (स्टेण्डर्ड) निम्नानुसार होगा :-

शारीरिक प्रमाप	पुरूष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
<u>ऊं चाई</u>		
अनुसूचित जनजाति हेतु	152 से.मी.	145 से.मी.
अन्य	163 से.मी.	150 से.मी.
सीना सामान्य (समस्त वर्ग)	79 से.मी. (न्यूनतम)	_
सीने का फुलाव (समस्त वर्ग)	०५ से.मी. (न्यूनतम)	_

**टीप** — 1. छ.ग. के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को सीने के फुलाने संबंधित शर्तों को शिथिल किया जायेगा।

- 2. महिला अभ्यर्थियों की सीना माप/सीने फुलाव को मुक्त रखा गया है।
- 5. चयन प्रक्रिया आवेदन पत्रों की जांच पश्चात् शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार शारीरिक नापजोख हेतु बुलाया जावेगा। शारीरिक अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जावेगा, जिसके लिए तिथि एवं स्थल निर्धारित होने की सूचना पृथक से विभागीय वेबसाइट पर दी जावेगी। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) कुल 100 अंको की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) का विवरण निम्नानुसार है -

200 मीटर दौड क.

25 अंक

ख. 800 मीटर दौड

25 अंक

लंबी कूद ग.

25 अंक

गोला फेंक घ.

25 अंक

### आइटम 'क' से 'घ' तक की स्पर्धा के लिए दिये जाने वाले अंकों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

प्रतिस्पर्धा	पुरूषों के लिए	अंक	महिलाओं के लिए	अं क
5-08-0100-000-000	समय/नाप		समय/नाप	325 16.
200 मीटर दौड़	24.50 सेकण्ड या कम	25	28.50 सेकण्ड या कम	25
(1 प्रयास)	24.51 सेकण्ड से 25.50 सेकण्ड तक	20	28.51 सेकण्ड से 30.00 सेकण्ड तक	20
	25.51 सेकण्ड से 27.00 सेकण्ड तक	15	30.01 सेकण्ड से 31.50 सेकण्ड तक	15
	27.01 सेकण्ड से 28.50 सेकण्ड तक	10	31.51 सेकण्ड से 33.00 सेकण्ड तक	10
	28.51 सेकण्ड से 30.00 सेकण्ड तक	5	33.01 सेकण्ड से 34.50 सेकण्ड तक	5
	३०.०१ सेकण्ड या अधिक	0	34.51 सेकण्ड या अधिक	0

C:\Users\user\Desktop\FG Bharti 2023\Forest Gaurd Vigyapan 2023 Final 15-05-2023.doc

800 मीटर दौड़	2 मिनट 10 सेकण्ड या कम	25	3 मिनट या कम	25
(1 प्रयास)	2 मिनट 10.01 सेकण्ड से 2 मिनट 20 सेकण्ड तक	20	3 मिनट 0.01 सेकण्ड से 3 मिनट 10 सेकण्ड तक	20
	2 मिनट 20.01 सेकण्ड से 2 मिनट 30 सेकण्ड तक	15	3 मिनट 10.01 सेकण्ड से 3 मिनट 25 सेकण्ड तक	15
	2 मिनट 30.01 सेकण्ड से 2 मिनट 45 सेकण्ड तक	10	3 मिनट 25.01 सेकण्ड से 3 मिनट 40 सेकण्ड तक	10
	2 मिनट 45.01 सेकण्ड से 3 मिनट तक	5	3 मिनट 40.01 सेकण्ड से 4 मिनट तक	5
	3 मिनट 00.01 सेकण्ड या अधिक	0	४ मिनट ००.०१ सेकण्ड या अधिक	0
लंबी कूद	5.50 मीटर या अधिक	25	4.25 मीटर या अधिक	25
(3 प्रयास)	5.25 मीटर से 5.49 मीटर तक	20	4 मीटर से 4.24 मीटर तक	20
	4.75 मीटर से 5.24 मीटर तक	15	3.50 मीटर से 3.99 मीटर तक	15
	4.25 मीटर से 4.74 मीटर तक	10	3 मीटर से 3.49 मीटर तक	10
	3.75 मीटर से 4.24 मीटर तक	5	2.50 मीटर से 2.99 मीटर तक	5
	00 मीटर से 3.74 मीटर तक	0	00 मीटर से 2.49 मीटर तक	0
गोला फेंक	9 मीटर या अधिक	25	8 मीटर या अधिक	25
गोले का वजन–	8 मीटर से 8.99 मीटर तक	20	7 मीटर से 7.99 मीटर तक	20
पुरूष-7.62	7 मीटर से 7.99 मीटर तक	15	6 मीटर से 6.99 मीटर तक	15
किलो	6 मीटर से 6.99 मीटर तक	10	5 मीटर से 5.99 मीटर तक	10
महिला–४ किलो	5 मीटर से 5.99 मीटर तक	5	4 मीटर से 4.99 मीटर तक	5
(3 प्रयास)	00 मीटर से 4.99 मीटर तक	0	00 मीटर से 3.99 मीटर तक	0

शारीरिक दक्षता में कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी तथा 50 प्रतिशत अंक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को प्राप्त करना अनिवार्य है।

अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त प्रतिस्पर्धा में भाग लेना अनिवार्य है। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका तत्काल निराकरण किया जायेगा। इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी की अवस्था में कराया जायेगा। रात्रि अथवा कृत्रिम प्रकाश में यह परीक्षा नहीं कराई जायेगी। शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में एकरूपता तथा पारदर्शिता के लिये बहुउद्देशीय कार्ड का प्रारूप एवं नमूना विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

6. लिखित परीक्षा :— शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) जाति/ वर्गवार तैयार की जायेगी, तथा इस लिस्ट में से केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुणा आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुणा से अधिक हो जाये। लिखित परीक्षा का संचालन विभागीय आधार पर अथवा राज्य शासन द्वारा नियुक्त/अधिकृत अन्य एजेंसी के द्वारा कराया जायेगा।

लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 02 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जायेंगे, जो वस्तुनिष्ट प्रकार के होंगे।

- 7. बोनस अंक :— उम्मीदवारों को नीचे उल्लेखित शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 05 बोनस अंक दिये जायेंगे। विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 10 अंक से अधिक नहीं होंगे।
  - (Φ) एन.सी.सी. का ''सी'' सर्टिफिकेट का न्यूनतम बी—ग्रेड का प्रमाणपत्रधारी।

ge

9

- (ख) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता केवल ओलंपिक एवं एशियाई खेलों की सूची में शामिल खेलों की अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, कि
- (i) टीम स्पर्धा में केवल विजेता एवं उप विजेता एवं
- (ii) व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को ही बोनस अंक की पात्रता होगी।
- 8. चयन सूची: शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक, लिखित परीक्षा 100 अंक एवं बोनस अंक 10 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।
- 9. पैदल चालनः प्रावीण्य सूची के उम्मीदवारों को पैदल चालन परीक्षा देनी होगी। पुरूष उम्मीदवारों को 04 घंटे में 25 किमी तथा महिला उम्मीदवारों को 04 घंटे में 14 किमी. की दूरी पूर्ण करने होगी। इस परीक्षा के लिये कोई अंक नहीं होंगे। लेकिन निर्धारित समयाविध में दूरी पूर्ण नहीं करने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

#### 10. नियम तथा शर्ते-

- (1) आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का मूल स्थानीय निवासी होना मान्य किया जायेगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा के उम्मीदवारों को जाति संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हों।
- (3) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु (पुरूष हेतु 21 वर्ष एवं महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (4) चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जायेगा।
- (5) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा विचारणीय नहीं होगा।
- (6) कोई भी उम्मीदवार जिसके पास एन.सी.सी. "सी" सर्टिफिकेट (न्यूनतम बी ग्रेड) एवं खेलकूद में निर्धारित प्रवीणता प्रमाण–पत्र हों तो उसकी स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करें।
- (7) आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र स्व- प्रमाणित करें।
- (8) किसी प्रवर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर वह पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा।
- (09) किसी प्रवर्ग में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर वह पद उसी प्रवर्ग के उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा, जिस प्रवर्ग के लिए पद आरक्षित है।
- (10) प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन उपरांत पात्रता/अपात्रता का निर्धारण किया जाकर, प्रत्येक नोडल वनमंडल द्वारा 10 दिवस के भीतर दावा—आपित्त प्राप्त की जावेगी। दावा आपित्त हेतु 10 दिन का समय, तिथि सिहत दिया जावेगा।
- (11) शारीरिक नापजोख, दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर निर्धारित केन्द्र/स्थल तक जाना होगा। इसके लिये कोई यात्रा भत्ता व्यय देय नहीं होगा।
- (12) चयन/नियुक्ति उपरांत यदि किसी अभ्यर्थी का, कोई भी प्रमाण पत्र यथा— जाति, निवास, शैक्षणिक या अन्य प्रमाण पत्र असत्य/फर्जी पायी जाती है तो बिना सुनवाई के एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये चयन/नियुक्ति निरस्त की जा

gu

1

सकेगी, साथ ही वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का कोई भी दावा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(13) भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र संचालनालय , सैनिक कल्याण बोर्ड, कचहरी परिसर, होमगार्ड कार्यालय के पीछे रायपुर छत्तीसगढ़ से सत्यापित करायी जायेगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़, नवा रायपुर